संख्या:907/2023/2972/35-4-2023/35-4099/320/2023

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
शाहजहांपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 14 दिसम्बर, 2023

विषय वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की लागत पुनरीक्षित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-शाहजहॉपुर की विधान सभा क्षेत्र-ददरौल में शासनादेश संख्या-376/2021/2240/35-4-2021, दिनांक 06.12.2021 द्वारा ग्रामीण सड़क निर्माण से सम्बन्धित 03 कार्यों की रू0 298.62 लाख (12 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू. 45.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर के पत्र दिनांक 16 अगस्त, 2023 द्वारा द्वारा उक्त शासनादेश के क्रमांक-01 एवं 02 पर अंकित कार्यों हेतु 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अनुमन्य होने के कारण अतिरिक्त 06 प्रतिशत धनराशि की मांग की गयी है। एतदद्वारा उक्त शासनादेश के क्रमांक-1 व 2 पर अंकित कार्यों की लागत में बढ़ी हुई 06 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 11.40 लाख को सम्मिलित करते हुए उक्त शासनादेश से स्वीकृत कार्यों की अनुमोदित लागत रू. 298.62 लाख में अतिरिक्त जी0एस0टी0 की 06 प्रतिशत धनराशि रू. 11.40 लाख को सम्मिलित करते हुए (298.62+11.40=310.02) रू0 310.02 लाख की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए 06 प्रतिशत अतिरिक्त जी0एस0टी0 की धनराशि रू. 11.40 लाख (रूपए ग्यारह लाख चालीस हजार मात्र) को अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 06.12.2021 की शर्तें यथावत लागू रहेगी एवं उक्त सन्दर्भित शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रू. **11,40,000/-** (रूपये ग्यारह लाख चालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 040 **लेखाशीर्षक** 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 एवं यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप सं0-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक-19 सितम्बर, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:907/2023/2972(1)/35-4-2023/35-4099/320/2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य0क कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, बरेली मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहॉपुर।
10- मुख्यं/वरिष्ठ कोषाधिकारी, शाहजहॉपुर।
11- वित्तं व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, शाहजहॉपुर।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, शाहजहॉपुर।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।